झारखण्ड विधान सभा

तारांकित प्रश्नों की सूची

पंचम झारखण्ड विधान-सभा
पंचम (बजट) सत्र
वर्ष 01

निम्नलिखित तारांकित प्रश्न, सोमवार, दिनांक- 10 फाल्गुन, 1942 (श0) / 01 मार्च, 2021 (ई0) को झारखण्ड विधान-सभा के आदेश-पत्र पर अंकित रहेंगे :-

क्र0 सं0	विभागों को भेजी गयी सं0सं0	सदस्यों का नाम	संक्षिप्त विषय	संबंधित विभाग	विभागों को भेजी गई तिथि
1.	2.	3.	4.	5.	6.
01	ग0- 10	श्री विनोद कुमार सिंह	नौकरी व मुआवजा दिलाना।	गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन	22/02/21
02	ग0- 15	श्री समीर कुमार मोहंती	अग्निशामन केन्द्र की स्थापना।	गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन	22/02/21
03	का0- 05	श्री रामचन्द्र सिंह	अनुसूचित जनजाति का दर्जा देना।	कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा	22/02/21
04	ग0- 14	श्रीमती सीता सोरेन	कद में छुट देना	गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन	22/02/21
05 *	का0- 10	डा0 कुशवाहा शशिभूषण मेहता	नगर पंचायत बनाना	कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा	22/02/21
06	ग0- 06	श्री चंधु तिर्की	मुआवजा एवं नौकरी देना।	गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन	22/02/21
07	ग0- 19	श्री अमित कुमार यादव	अग्निशामन कार्यालय खोलना।	गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन	22/02/21
08	ग0- 03	श्री ग्लेन ज्योसेफ गॉलिस्टन	तुमांग पंचायत को मैक्लुस्कीगंज थाना में शामिल करना।	गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन	18/02/21
09	का0- 11	प्रो0 स्टीफन मरांडी	अनुमंडल कार्यालय की स्थापना।	कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा	22/02/21

* नगर विकास एवं आवास विभाग में स्थानांतरित।

1.	2.	3.	4.	5.	6.
उ0 प्र0 10	ग0- 09	डॉ0 कुशवाहा शशिभूषण मेहता	मुआवजा का भुगतान।	गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन	22/02/21
उ0 प्र0 11	ग0- 20	श्री केदार हाजरा	पंचायतों को थाना में सम्मिलित करना।	गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन	22/02/21
12	ग0- 17	डा0 इरफान अंसारी	साईबर क्राइम टास्क फोर्स का गठन।	गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन	22/02/21
उ0 प्र0 13	ग0- 23	श्री अनंत कुमार ओझा	जल थाना की स्थापना	गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन	22/02/21
उ0 प्र0 14	योवि0- 01	श्री किशुन कुमार दास	उप कोषागार बनाना।	योजना सह वित्त	22/02/21
उ0 प्र0 15	ग0- 21	श्री केदार हजरा	टी0ओ0पी0 को पुनः बहाल करना।	गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन	22/02/21
16	ग0- 11	श्री सरयु राय	अनुसंधान पूरा करना।	गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन	22/02/21
उ0 प्र0 17	का0- 02	श्री अमित कुमार मण्डल	नई नियोजन नीति लागू कर नियुक्ति करना।	कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा	22/02/21
उ0 प्र0 18	ग0- 18	श्री रामचन्द्र वन्द्रवंशी	पुलिस चौकी की स्थापना।	गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन	22/02/21
उ0 प्र0 19	ग0- 08	श्री अमित कुमार यादव	मुआवजा का भुगतान।	गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन	22/02/21
20	ग0- 07	श्री अमित कुमार मण्डल	दोषी पदाधिकारियों पर कार्रवाई।	गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन	22/02/21
उ0 प्र0 21	ग0- 02	श्री बिरंची नारायण	थाना खोलने के संबंध में।	गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन	18/02/21
उ0 प्र0 22	ग0- 22	सुश्री अम्बा प्रसाद	गृह रक्षकों का नव नामांकन।	गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन	22/02/21
23	ग0- 04	श्री सरयु राय	अनुसंधान एवं कार्रवाई।	गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन	22/02/21
उ0 प्र0 24	का0- 06	श्री रामचन्द्र सिंह	स्थानान्तरण के संबंध में।	कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा	22/02/21
25	ग0- 24	श्री कोचे मुण्डा	आवास एवं कार्यालय का निर्माण।	गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन	22/02/21
उ0 प्र0 26	का0- 01	श्रीमती दीपिका पाण्डेय सिंह	प्रोन्नति के लिए विचार।	कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा	18/02/21

1.	2.	3.	4.	5.	6.
27	गo- 16	श्री रामचन्द्र चन्द्रवंशी	पुलिस चिकेट की स्थापना।	गृह, कारा एंव आपदा प्रबंधन	22/02/21
28	वाणि0-01	श्री किशुन कुमार दास	वाणिज्यकर विभाग का कार्यालय खोलना।	वाणिज्यकर	22/02/21

रॉची
दिनांक- 01 मार्च, 2021(ई0)

महेन्द्र प्रसाद,
सचिव
झारखण्ड विधान-सभा, रॉची।

ज्ञाप सं0- प्रश्न-01/21.....378...../वि0स0, रॉची, दिनांक- 25/2/21

प्रति :- झारखण्ड विधान-सभा के माननीय सदस्यगण/ मा0 मुख्यमंत्री/ मा0 मंत्रिगण/ मा0ससंदीय कार्य मंत्री/ मा0 नेता प्रतिपक्ष, झारखण्ड विधान-सभा/ मुख्य सचिव तथा माननीया राज्यपाल के प्रधान सचिव/ लोकायुक्त के आप्त सचिव एवं सरकार के सभी विभागों को सूचनार्थ आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

25.02.2021
(हरेन्द्र कुमार साह)
उप सचिव
झारखण्ड विधान-सभा, रॉची।

ज्ञाप सं0- प्रश्न-01/21.....378...../वि0स0, रॉची, दिनांक- 25/2/21

प्रति :- मा0 अध्यक्ष महोदय महोदय एवं सचिव महोदय के आप्त सचिव को क्रमशः माननीय अध्यक्ष महोदय एवं सचिव महोदय एवं अपर सचिव, प्रश्न तथा संयुक्त सचिव, प्रश्न को सूचनार्थ प्रेषित।

25.02.2021
उप सचिव
झारखण्ड विधान-सभा, रॉची।

ज्ञाप सं0- प्रश्न-01/21.....378...../वि0स0, रॉची, दिनांक- 25/2/21

प्रति :- कार्यवाही शाखा/ वेबसाईट शाखा/ ऑनलाईन शाखा एवं आश्वासन शाखा को सूचनार्थ प्रेषित।

25.02.2021
अवर सचिव
झारखण्ड विधान-सभा, रॉची।

निरंजन

25/02/2021

श्री बिनोद कुमार सिंह, मा०स०वि०स० के द्वारा दिनांक–01.03.2021 को पूछे जानेवाले तारांकित प्रश्न संख्या–ग–10 का उत्तर प्रतिवेदन :–

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि खूँटी जिला के मुरहू थाना क्षेत्र में 20 मार्च को CRPF के जवानों ने रोशन होरो नामक निर्दोष युवक की हत्या कर दी थी, जिसकी पुष्टि CID जाँच में भी हुई है ;	स्वीकारात्मक। दिनांक–20.03.2020 को मुरहू थाना अंतर्गत कुमारडीह क्षेत्र में सी०आर०पी०एफ० एवं जिला पुलिस के संयुक्त अभियान के दरमयान ग्राम–कोयंगसार के पास एक मोटरसाइकिल व्यक्ति स्व० रोशन होरो को चेकिंग के दौरान संदेह के आधार पर रोकने का प्रयास किया गया। उक्त व्यक्ति के नहीं रूकने पर सी०आर०पी०एफ० जवान श्री जितेन्द्र कुमार प्रधान द्वारा किये गये फायरिंग में जख्मी एवं इलाज के क्रम में उनकी मृत्यु हो गई। इस संबंध में गैर इरादतन हत्या से संबंधित मुरहू थाना काण्ड संख्या–24/20, दिनांक–20.03.2020, धारा–304 भा०द०वि० उक्त सी०आर०पी०एफ० जवान के विरूद्ध दर्ज किया गया जिसे पर्यवेक्षणोपरान्त सत्य पाया गया। ए०डी०जी०, सी०आई०डी० द्वारा उक्त काण्ड के समीक्षा के उपरांत इसे धारा–302 एवं 27 आर्म्स एक्ट के तहत सत्य प्रतीत पाया गया है। वर्त्तमान में काण्ड अनुसंधान अंतर्गत है।
2	यदि उपर्युक्त खण्ड के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार दोषियों पर कार्रवाई व मृतक के आश्रित को नौकरी व मुआवजा देने की विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	1. कांड में दोषी पाये गये अभियुक्त श्री जितेन्द्र कुमार प्रधान, जी०डी०–175063711, सी०आर०पी० एफ० 94 बटालियन, मुख्यालय, खूँटी की CrPC की धारा–45 के तहत गिरफ्तारी की स्वीकृति हेतु विभागीय पत्रांक–669, दिनांक–04.02.2021 एवं धारा–302 भा०द०वि० तथा 27 आर्म्स एक्ट के तहत अभियोजन स्वीकृति हेतु विभागीय पत्रांक–668, दिनांक–04.02.2021 द्वारा गृह मंत्रालय, भारत सरकार से अनुरोध किया गया है। 2. पुलिस फायरिंग में मारे जाने के कारण मृतक के आश्रित को विभागीय संकल्प संख्या–423, दिनांक–16.02.2006 एवं 2598, दिनांक–09.06.2011 के तहत मुआवजा एवं नौकरी अनुमान्य नहीं है।

झारखण्ड सरकार,
गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग।

ज्ञापांक–18/वि०स०–(02)–02/2021–1214/ राँची, दिनांक–28/02/2021 ई०।

प्रतिलिपि–200 अतिरिक्त प्रतियों के साथ अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा को उनके ज्ञापांक–146, दिनांक–22.02.2021 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

28/02/2021

सरकार के संयुक्त सचिव।

02

श्री समीर कुमार मोहंती, मा०स०वि०स० के द्वारा दिनांक–01.03.2021 को पूछे जानेवाले तारांकित प्रश्न संख्या–ग–15 का उत्तर प्रतिवेदन :–

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि बहरागोड़ा विधानसभा क्षेत्र के अधीन चाकुलिया प्रखण्ड में कोई अग्निशामन केन्द्र नहीं है। क्षेत्र में कहीं आगजनी या दुर्घटना घट जाने से बहरागोड़ा से अग्निशामन वाहन या वाहिनी को बुलाया जाता है ;	स्वीकारात्मक
2	क्या यह बात सही है कि बहरागोड़ा विधान–सभा क्षेत्र के अन्तर्गत बहरागोड़ा मुख्यालय से चाकुलिया के दूरवर्ती गावों की दूरी औसतन 50 कि०मी० है, आगजनी या दुर्घटना घट जाने से अग्निशामन वाहन या वाहिनी पहुँचते पहुँचते काफी देर हो जाती है ;	आंशिक स्वीकारात्मक। चाकुलिया के गाँवों से आगजनी की सूचना मिलते ही बहरागोड़ा अग्निशमन केन्द्र से अग्निशमन वाहन तत्काल घटना स्थल पर पहुंचते है। अग्निशामालय बहरागोड़ा से प्राप्त अग्नि प्रतिवेदन के अनुसार जनवरी 2020 से जनवरी 2021 तक चाकुलिया प्रखण्ड में कुल 3 (तीन) अग्निकाण्ड की घटना हुई है, जिसकी विवरणी निम्नस्वरूप है– (1) दिनांक–15.12.2020 को चाकुलिया रोड चन्द्रपुर ट्रक में (गंभीर आग), (2) दि०– 31.12.2020 को सोनाहातू (छोटी आग), (3) दि०–18.01.2021 को चाकुलिया बाजार में (छोटी आग)
3	यदि उपर्युक्त खण्डों का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार चाकुलिया में भी एक अग्निशामन केन्द्र स्थापित करने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	अग्निकांड की घटनाओं के मद्देनजर प्रथम चरण में राज्य के अत्यंत संवेदनशील शहरी क्षेत्र तथा नवसृजित अनुमण्डल मुख्यालयों में एवं द्वितीय चरण में राज्य के प्रखण्ड स्तर पर अग्निशामालय खोले जाने का निर्णय लिया गया है । अनुमंडल मुख्यालय में अग्निशमन कार्यालय खोले जाने के पश्चात प्रखण्ड कार्यालयों में अग्निशामालय कार्यालय खोलने की कार्रवाई की जायेगी।

झारखण्ड सरकार,
गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग।

ज्ञापांक–05 / वि०स०–07 / 01 / 2021–.....223../ राँची, दिनांक– 28/02/2021 ई०।

प्रतिलिपि–200 अतिरिक्त प्रतियों के साथ अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा को उनके ज्ञापांक–152, दिनांक–22.02.2021 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

28/02/2021
सरकार के संयुक्त सचिव।

(3)

श्री रामचन्द्र सिंह, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक–01.03.2021 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या–का0–05 का उत्तर प्रतिवेदन।

क्र. सं.	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि झारखण्ड में बसने वाले भुईहर एवं भुईहर मुण्डा को बिहार सरकार में मुण्डा जाति के उपजाति मानते हुए अनुसूचित जनजाति का दर्जा प्राप्त था;	अस्वीकारात्मक।
2.	क्या यह बात सही है कि वर्तमान में भुईहर एवं भुईहर मुण्डा जाति के लोगों को यथा गुमला, लातेहार, पलामू एवं गढ़वा के भुईहर मुण्डाओं को अनुसूचित जनजाति के जाति प्रमाण पत्र के स्थान पर अत्यन्त पिछड़ी जाति का प्रमाण पत्र निर्गत किया जा रहा है, जबकि वे मूल रुप से मुण्डा का उपजाति, जो अनुसूचित जनजाति अन्तर्गत आते हैं;	अस्वीकारात्मक। राज्य के अत्यन्त पिछड़े वर्गों की सूची (अनुसूची–1) के क्रमांक–57 में भुईयार जाति सूचीबद्ध है। तदनुसार उक्त जाति के लोगों को पिछड़ा वर्ग का प्रमाण पत्र दिया जाता है।
3.	क्या यह बात सही है कि भुईहर एवं भुईहर मुण्डा जाति को मुण्डा जाति का उपजाति का दर्जा देने हेतु कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग को झारखण्ड जनजातीय परामर्शदातृ परिषद् की उपसमिति द्वारा भी अनुशंसा किया गया है;	अस्वीकारात्मक। कतिपय जातियों के साथ भुईहर मुण्डा जाति की अनुसूचित जनजाति की मान्यता के संबंध में मूल्यांकन हेतु झारखण्ड जनजातीय परामर्शदातृ परिषद् की उपसमिति का गठन किया गया था। उक्त के सम्बन्ध में झारखण्ड जनजातीय परामर्शदातृ परिषद् की अनुशंसा/मंतव्य प्राप्त नहीं है।
4.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार भुईहर एवं भुईहर मुण्डा जाति को अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने हेतु अधिसूचना जारी करने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो, क्यों?	डॉ0 रामदयाल मुण्डा जनजातीय कल्याण शोध संस्थान द्वारा भूईहर मुण्डा/भूईहर समुदाय को अनुसूचित जनजाति की सूची में सम्मिलित करने की अनुशंसा की गयी है। उक्त अनुशंसा के आलोक में राज्य सरकार द्वारा अग्रतर कार्रवाई की जाएगी।

झारखण्ड सरकार,
कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

ज्ञापांक–14/झा0वि0स0–07–03/2021 का0–1254/रांची, दिनांक 26/02/2021

प्रतिलिपि– अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, रांची को उनके पत्र, ज्ञाप संख्या–142, दिनांक–22.02.2021 के प्रसंग में 200 (दो सौ) प्रतियों में सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(चन्द्र भूषण प्रसाद)
सरकार के उप सचिव।

(07)

श्रीमती सीता सोरेन, मा०स०वि०स० के द्वारा दिनांक–01.03.2021 को पूछे जानेवाले तारांकित प्रश्न संख्या–ग–14 का उत्तर प्रतिवेदन :–

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि कोडरमा पुलिस अधीक्षक कार्यालय से विज्ञापन संख्या–01/04 के तहत भगवान सिंह, पिता–स्वर्गीय गया सिंह, निवास–पुरानी बस्ती, भूली, जोड़ापोखर, धनबाद का चयन पुलिस पद के लिए हुआ था, जिसका ज्ञापांक– 310/रा०का०, दिनांक–05.03.2008 है ;	स्वीकारात्मक।
2	क्या यह बात सही है कि उक्त अभ्यर्थी की लंबाई 2 सेंटीमीटर कम होने के कारण नियुक्ति नहीं दी गई थी जबकि विभाग द्वारा किसी भी व्यक्ति को 2 सेंटीमीटर तक की लंबाई की छूट दिए जाने का प्रावधान है ;	शारीरिक माप के क्रम में श्री भगवान सिंह की ऊँचाई 158 सेंटीमीटर पायी गई, जो उनके कोटि के निर्धारित न्यूनतम शारीरिक ऊँचाई 160 से०मी० की अर्हता के अनुरूप नही थी। जिस कारण तत्कालीन पुलिस अधीक्षक, कोडरमा के द्वारा उन्हें आरक्षी के पद पर नियुक्ति नही किया गया। गृह विभाग, झारखण्ड, राँची के अधिसूचना सं०–3300, दिनांक–12.11.2001 में आरक्षी के पद पर नियुक्ति हेतु निर्धारित की गई अर्हता के अनुरूप ही विज्ञापन सं०–01/2004 के तहत आरक्षी के पद पर नियुक्ति प्रक्रिया पूर्ण की गई थी। तद्नुसार श्री भगवान सिंह उक्त प्रावधान के कंडिका–(3) अ में निहित न्यूनतम ऊँचाई (160 से०मी०) की अर्हता पूर्ण नही कर पाये थे, जिस कारण से उन्हें नियुक्त नही किया गया। साथ ही उक्त संकल्प में ऊँचाई को क्षान्त किये जाने का प्रावधान नही है।
3	यदि उपर्युक्त खण्डों का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार उक्त व्यक्ति को कद में छूट देते हुए पुलिस पद पर नियुक्ति का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	कंडिका–02 में वस्तु स्थिति स्पष्ट कर दी गयी है।

झारखण्ड सरकार,
गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग।

ज्ञापांक–15/वि०स०–02/2021–.....1206../ राँची, दिनांक– 28/02/2021ई०।

प्रतिलिपि–200 अतिरिक्त प्रतियों के साथ अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा को उनके ज्ञापांक–155, दिनांक–22.02.2021 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

28/02/2021

सरकार के संयुक्त सचिव।

F:\Sandeep 2017\Sec-7\Sandeep Vidhansabha\Chandan Ji\Questions (Budget) 21.doc P-8

(05)

डॉ कुशवाहा शशि भूषण, मा०स०वि०स० से प्राप्त तारांकित प्रश्न संख्या–का०–10 का उत्तरः–

क्र0	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि पलामू जिला के पांकी विधान सभा क्षेत्र प्रखंड अंतर्गत लेस्लीगंज वर्तमान में नगर पंचायत बनाने का सभी अहर्त्ता रखती है ;	अस्वीकारात्मक। (उपायुक्त, पलामू के पत्रांक–362, दिनांक–26.02.2021 के अनुसार अहर्त्ता नहीं रखती है)।
2.	क्या यह बात सही है कि नगर पंचायत बनाने के लिए पूर्व में ग्रामीण जनता तथा जनप्रतिनिधियों के द्वारा समय–समय पर मांग उठाते रहे हैं तथा सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी आज के समय में झारखण्ड सशस्त्र पुलिस बल–08 का भी मुख्यालय है;	अस्वीकारात्मक। अपितु, झारखण्ड सशस्त्र बल का मुख्यालय है।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं तो क्या सरकार लेस्लीगंज को नगर पंचायत बनाने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक नहीं तो क्यों ?	कंडिका–01 के अनुसार वर्त्तमान में लेस्लीगंज, नगर निकाय हेतु अहर्त्ता नहीं रखती है। भविष्य में अहर्त्ता प्राप्त करने पर इस संबंध में अग्रेतर कार्रवाई की जायेगी।

झारखण्ड सरकार

नगर विकास एवं आवास विभाग

ज्ञापांकः–08 / तारा० / 04 / 2021 न०वि०आ० 750 राँची, दिनांक– 27/02/2021

प्रतिलिपिः– अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, झारखण्ड, राँची को ज्ञाप सं०प्र०–139 वि०स० दिनांक–22.02.2021 के क्रम में 200 (दो सौ) प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

27.2.21

सरकार के उप सचिव।

(66)

श्री बंधु तिर्की, मा०स०वि०स० के द्वारा दिनांक–01.03.2021 को पूछे जानेवाले तारांकित प्रश्न संख्या–ग–06 का उत्तर प्रतिवेदन :–

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है, कि विरेन्द्र कुमार भगत, ग्राम–कोटामाटी, थाना–घाघरा, जिला–राँची के पुत्र संजीव रंजन भगत और पुत्री ममता खाखा की निर्मम हत्या अपराधियों द्वारा दिनांक–25.10.2020 को कर दिया गया था, जिसका मुकदमा घाघरा थाना काण्ड सं0–164/20, दिनांक–26.10.2020, काण्ड सं0–171/2020, दिनांक–02.11.2020, काण्ड सं० 176/2020, दिनांक–05.11.2020 के तहत दर्ज किया गया है एवं मुख्य अभियुक्तो की गिरफ्तारी अभी तक नहीं हो सकी है ;	अस्वीकारात्मक। घाघरा थाना कांड सं०–171/20 एवं 176/20 के सभी अभियुक्तों को न्यायिक हिरासत में लिया गया है तथा घाघरा थाना कांड सं०–164/20 के तीन में से एक अभियुक्त को रिमांड में लिया गया है एवं एक को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में लिया गया है, अन्य के लिए छापेमारी की जा रही है।
2	यदि उपर्युक्त खण्ड का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार मामले का उदभेदन हेतु सी०बी०आई० जाँच कराने पीड़ित परिवार को विधि सम्मत मुआवजा राशि देने एवं परिवार के सदस्य को सरकारी नौकरी देने हेतु अनुशंसा करने का विचार रखती है, हाँ, तो, कब तक, नहीं तो क्यों ?	1. कांड का उदभेदन हो चुका है, अतः जांच को सी०बी०आई० से कराने की आवश्यकता नही है। 2. उग्रवादी घटना नही है; तदनुसार विभागीय संकल्प सं०–2598, दिनांक–09.06.2011 एवं 423, दिनांक–16.02.2006 के प्रावधानों के अंतर्गत आश्रित को अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति एवं मुआवजा अनुमान्य नही है।

झारखण्ड सरकार,
गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग।

ज्ञापांक–10/वि०स०–702/2021–....1212../ राँची, दिनांक– 28/02/2021ई०।

प्रतिलिपि–200 अतिरिक्त प्रतियों के साथ अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा को उनके ज्ञापांक–154, दिनांक–22.02.2021 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

28/02/2021

सरकार के संयुक्त सचिव।

07

श्री अमित कुमार यादव, मा०स०वि०स० के द्वारा दिनांक–01.03.2021 को पूछे जानेवाले तारांकित प्रश्न संख्या–ग–19 का उत्तर प्रतिवेदन :–

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि हजारीबाग जिलान्तर्गत बरकट्ठा, चलकुशा तथा कोडरमा जिलान्तर्गत जयनगर प्रखण्ड मुख्यालयों में अग्निशामन कार्यालय नहीं होने के कारण इनके पोषक क्षेत्र में कहीं पर भी आग लगने से समय पर काबू नहीं पाया जाता है, जिस कारण आम–जन (पीड़िता) की सम्पति जलकर नष्ट हो जाती है ;	आंशिक रूप से स्वीकारात्मक। 2. हजारीबाग जिला के बरकट्ठा एवं चलकुशा प्रखण्ड बरही अनुमण्डल के अंतर्गत है। वर्त्तमान में बरही अनुमण्डल में अग्निशामालय क्रियाशील है। बरही अग्निशामालय से उक्त क्षेत्र की दूरी लगभग 35 कि०मी० है। वर्त्तमान में उक्त क्षेत्र में अग्निशमन कार्य बरही अनुमण्डल स्तर से की जाती है। बरकट्ठा क्षेत्रान्तर्गत कुल अग्निकाण्डों की संख्या 07 है। 3. कोडरमा जिला के जयनगर प्रखण्ड मुख्यालय में अग्निशमन कार्य कोडरमा अग्निशामालय के स्तर से की जाती है, जिसकी दूरी जयनगर प्रखण्ड क्षेत्र से लगभग 25 कि०मी० है। जयनगर प्रखण्ड अंतर्गत कुल अग्निकाण्डों की संख्या–06 है। 4. संबंधित अग्निकाण्डों में अग्निशमन वाहन न्यूनतम समय पर पहुँच कर अग्निशमन का कार्य किया गया है, जिसमें किसी प्रकार की मानवीय क्षति अथवा पशुधन की क्षति की सूचना नहीं है।
2	यदि उपर्युक्त खण्ड का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार व्यापक लोकहित में उक्त प्रखण्डों के मुख्यालय में अग्निशामन कार्यालय अविलम्ब खोलना चाहती है, नहीं तो क्यों ?	अग्निकांड की घटनाओं के मद्देनजर प्रथम चरण में राज्य के अत्यंत संवेदनशील शहरी क्षेत्र एवं नवसृजित अनुमण्डल मुख्यालयों में एवं द्वितीय चरण में राज्य के प्रखण्ड स्तर पर अग्निशामालय खोले जाने का निर्णय लिया गया है। अनुमंडल मुख्यालय में अग्निशमन कार्यालय खोले जाने के पश्चात प्रखण्ड कार्यालयों में खोलने की कार्रवाई की जायेगी।

झारखण्ड सरकार,
गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग।

ज्ञापांक–05 / वि०स०–07 / 02 / 2021–992 / राँची, दिनांक– 28/02/2021ई०।

प्रतिलिपि–200 अतिरिक्त प्रतियों के साथ अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा को उनके ज्ञापांक–162, दिनांक–22.02.2021 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

22/02/2021

सरकार के संयुक्त सचिव।

(08)

श्री ग्लेन जोसेफ गॉलस्टन, मा०स०वि०स० के द्वारा दिनांक–01.03.2021 को पूछे जानेवाले तारांकित प्रश्न संख्या–ग–03 का उत्तर प्रतिवेदन :–

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि तुमांग पंचायत की दूरी खलारी थाना से 08 किलोमीटर है जबकि मैक्लुस्कीगंज थाना क्षेत्र से मात्र 02 किलोमीटर पर स्थित है;	स्वीकारात्मक।
2	क्या यह बात सही है कि खलारी थाना से तुमांग पंचायत की दूरी अधिक रहने के कारण अपराधिक गतिविधियों का नियंत्रण ससमय नहीं हो पाता है;	स्वीकारात्मक।
3	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार तुमांग पंचायत को मैक्लुस्कीगंज थाना में सम्मिलित करने का विचार रखती है, यदि हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	तुमांग पंचायत को मैक्लुस्कीगंज थाना में सम्मिलित करने संबंधी प्रस्ताव पुलिस मुख्यालय से प्राप्त हुआ है। सम्प्रति कार्रवाई प्रक्रियाधीन है।

झारखण्ड सरकार,
गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग।

ज्ञापांक–16 / वि०स–01 / 2021–.....1204.../ राँची, दिनांक– 28/02/2021 ई०।

प्रतिलिपि–200 अतिरिक्त प्रतियों के साथ अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा को उनके ज्ञापांक–87, दिनांक–18.02.2021 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

28/02/2021
सरकार के संयुक्त सचिव।

(9)

माननीय स०वि०स० प्रो० स्टीफन मराण्डी द्वारा दिनांक 01.03.2021 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या–का–11 का उत्तर।

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि महेशपुर विधान सभा के अन्तर्गत दोनों प्रखण्ड क्रमशः महेशपुर एवं पाकुड़िया पश्चिम बंगाल राज्य का सीमावर्ती क्षेत्र है;	स्वीकारात्मक।
2.	क्या यह बात सही है उक्त दोनों प्रखण्डों का पश्चिम बंगाल का सीमावर्ती क्षेत्र होने के कारण विधि व्यवस्था चुस्त–दुरूस्त रखने की आवश्यकता है;	स्वीकारात्मक।
3.	क्या यह बात सही है कि विधि व्यवस्था को चुस्त–दुरूस्त रखने हेतु, प्रखण्ड मुख्यालय महेशपुर में महेशपुर पाकुड़िया तथा अमरापाड़ा प्रखण्ड मिलाकर अनुमंडल कार्यालय की स्थापना जनहित में जरूरी है;	प्रमण्डलीय आयुक्त, संथाल परगना प्रमण्डल, दुमका की अनुशंसा उपायुक्त, पाकुड़ के 'महेशपुर' अनुमंडल बनाने संबंधी अनुशंसित प्रतिवेदन पर अप्राप्त है। महेशपुर को अनुमंण्डल बनाने के निमित्त विभागीय पत्रांक 7449 दिनांक 17.08.2013 के प्रसंग में उपायुक्त, पाकुड़ के अनुशंसित प्रस्ताव पर मंतव्य/अनुशंसा के साथ विभाग को उपलब्ध कराने का अनुरोध प्रमण्डलीय आयुक्त, संथाल परगना प्रमण्डल, दुमका से विभागीय पत्रांक 989 दिनांक 15.02.2021 द्वारा पुनः किया गया है।
4.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उपर्युक्त प्रखण्डों की विधि व्यवस्था को चुस्त–दुरूस्त रखते हुए महेशपुर में अनुमंडल कार्यालय की स्थापना करने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नही तो क्यों ?	अनुमण्डल सृजन के लिए संबंधित जिला के उपायुक्त के अनुशंसित प्रस्ताव पर प्रमण्डलीय आयुक्त की अनुशंसा सहित प्रस्ताव प्राप्त होने के पश्चात् इसे प्रशासनिक इकाईयों के सृजन/पुनर्गठन हेतु गठित उच्चस्तरीय समिति के विचारार्थ प्रस्तुत किया जाता है। उक्त समिति की अनुशंसा के आलोक में नये अनुमण्डल सृजन के बिन्दु पर समीक्षोपरांत सरकार द्वारा निर्णय लिया जाता है।

झारखण्ड सरकार
कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

ज्ञापांक–15/झा०वि०स०–15–02/2021 का०– 1278 /राँची, दिनांक– 27/02/2021

प्रतिलिपि–उप/अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा को उनके ज्ञापांक–143 दिनांक– 22.02.2021 के प्रसंग में 250 प्रतियों में आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(एच० के० सुधाँशु)
सरकार के अवर सचिव।

(10)

डा० कुशवाहा शशिभूषण मेहता माननीय स०वि०स० द्वारा दिनांक–01.03.2021 को पूछे जाने वाले तारांकित प्रश्न सं०–ग–09 का उत्तर प्रतिवेदन

प्रश्नकर्त्ता	उत्तरदाता
डॉ० कुशवाहा शशिभूषण मेहता, मा०स०वि०स०	श्री बन्ना गुप्ता, माननीय मंत्री, आपदा प्रबंधन प्रभाग
1. क्या यह बात सही है कि पलामू प्रमंडल के किसान का खरीफ एवं रबी फसल को नीलगाय के द्वारा बर्बाद कर देने से किसान दिन प्रति दिन कर्ज में डुबते चले जा रहे है ;	उपायुक्त, पलामू के पत्रांक–50 दिनांक–27.02.2021 द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि सदर अंचल मेदनीनगर, पाटन एवं चैनपुर में नीलगाय के द्वारा फसल क्षति हुई है।
2. क्या यह बात सही है कि किसान के द्वारा जिला तथा प्रखण्ड स्तर पर लिखित सूचना देने के बाद भी किसानों के फसल का क्षतिपूर्ति नहीं किया जा रहा है ;	भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित प्राकृतिक/विशिष्ट स्थानीय आपदाओं में नीलगाय के द्वारा हुए फसल क्षति सम्मिलित नहीं होने के कारण अनुग्रह अनुदान/मुआवजा के भुगतान का प्रावधान नहीं है।
3. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार प्रखण्ड स्तर पर एक कमिटि का गठन करा कर किसानों के द्वारा प्राप्त सूचना पर उनका खेतो का निरीक्षण करा कर अविलम्ब मुआवजा देने का विचार रखती है, हाँ तो कब, नहीं तो क्यों ?	उपरोक्त खण्डों में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है।

झारखण्ड सरकार
गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग
(आपदा प्रबंधन प्रभाग)

ज्ञापांक–07/आ०प्र०(विधायी)–04/2021–131/आ०प्र०, राँची, दिनांक– 27/2/2021

प्रतिलिपि– माननीय मंत्री, संसदीय कार्य विभाग, झारखण्ड के आप्त सचिव/माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव, आपदा प्रबंधन प्रभाग, झारखण्ड, राँची/सचिव कोषांग, गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग (आपदा प्रबंधन प्रभाग), झारखण्ड, राँची/विशेष सचिव, मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं निगरानी विभाग (संसदीय कार्य), झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

27/2/2021

(अमरेश कुमार नीरज)
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक –07/आ०प्र०(विधायी)–04/2021–131/आ०प्र०, राँची, दिनांक– 27/2/2021

प्रतिलिपि– अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, राँची को उनके ज्ञापांक–157 दिनांक–22.02.2021 के प्रसंग में सूचनार्थ प्रेषित।

27/2/2021

सरकार के अवर सचिव।

(11)

श्री केदार हजरा, मा०स०वि०स० के द्वारा दिनांक–01.03.2021 को पूछे जानेवाले तारांकित प्रश्न संख्या–ग–20 का उत्तर प्रतिवेदन :–

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि गिरिडीह जिलान्तर्गत देवरी थाना मुख्यालय से खटौरी, जमखोखरो चिकनाडीह, मानिकवाद, वैरिया, वरबाद पंचायतों की दूरी करीब 20 कि०मी० से लेकर 40 कि०मी० तक है ;	आंशिक स्वीकारात्मक। गिरिडीह जिलान्तर्गत देवरी थाना मुख्यालय से खटौरी करीब 28 कि०मी०, जमखोखरो करीब 25 कि०मी०, चिकनाडीह करीब 25 कि०मी०, मानीकबाद करीब 18 कि०मी०, बैरिया करीब 16 कि०मी०, बरवाबाद पंचायत की दूरी करीब 20 कि०मी० है।
2	क्या यह बात सही है कि खण्ड–1 के पंचायत मुख्यालयों से हिरोडीह थाना की दूरी 300 मीटर से लेकर 9 कि०मी० तक ही है ;	स्वीकारात्मक।
3	क्या यह बात सही है कि खण्ड–1 के पंचायतों के स्थानीय निवासीयो देवरी थाना मुख्यालय अधिक दूरी रहने के कारण काफी कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है ;	वर्तमान में विधि–व्यवस्था का संधारण देवरी थाना से किया जाता है।
4	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या देवरी थानान्तर्गत खटौरी जमखोखरो, मानिकवाद, वैरिया, बरबाद पंचायतों को हिरोडीह थाना में जोड़ने पर विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	गिरिडीह जिला के देवरी थानान्तर्गत खटौरी जमखोखरो, मानिकवाद, वैरिया, बरबाद पंचायतों को हिरोडीह थाना में जोड़ने संबंधी कोई प्रस्ताव वर्तमान में सरकार के समक्ष विचाराधीन नहीं हैं।

झारखण्ड सरकार,
गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग।

ज्ञापांक–16 / वि०स०–05 / 2021–1205 / राँची, दिनांक– 28/02/2021 ई०।

प्रतिलिपि–200 अतिरिक्त प्रतियों के साथ अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा को उनके ज्ञापांक–158, दिनांक–22.02.2021 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

28/02/2021
सरकार के संयुक्त सचिव।

(12)

डॉ० इरफान अंसारी, मा०स०वि०स० के द्वारा दिनांक–01.03.2021 को पूछे जानेवाले तारांकित प्रश्न संख्या–ग–17 का उत्तर प्रतिवेदन :–

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि झारखण्ड में साइबर थाना खोले जाने के पहले साइबर क्राइम की संख्या कम थी ;	स्वीकारात्मक।
2	क्या यह बात सही है कि साइबर थाना खोलने के बाद साइबर क्राइम में लिप्त अपराधियों की संख्या में भारी बढ़ोत्तरी हुई है, खासकर देवघर, जामताड़ा, दुमका एवं गिरिडीह में दिन–प्रतिदिन साइबर क्राइम की संख्या बढ़ती जा रही है ;	स्वीकारात्मक।
3	क्या यह बात सही है कि अपराध संख्या में बढ़ोतरी यह नहीं दर्शाता है कि कम पढ़े लिखे अपराधी तकनीकी रूप से साइबर एक्सपर्ट पुलिस से अधिक दक्ष है ;	अस्वीकारात्मक। पंजीकृत साईबर क्राइम का अधिकांश घटना जागरूकता के अभाव में पीड़ित द्वारा व्यक्तिगत डाटा साईबर अपराधी से साझा करने के कारण घटित हुई है। पुलिस द्वारा साईबर अपराध की घटनाओं के रोकथाम एवं उद्‌भेदन हेतु कुशलता से कार्रवाई की जा रही है, साथ ही आम जनता में साईबर क्राइम के **Modus Operandi** की जानकारी देते हुए साईबर जागरूकता फैलाई जा रहा है।
4	यदि उपर्युक्त खण्डों का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार स्वतंत्र रूप से साइबर क्राइम टास्क फोर्स का गठन कर उन्हें आधुनिक एवं तकनीकी रूप से प्रशिक्षित करने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	साईबर थाना के सृजन से पीड़ित को साईबर काण्ड अंकित कराने में सुविधा हुई है। साथ ही साईबर थाना के **Pro-active** प्रयास एवं विशेष अभियान के कारण इसमें संलिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी में बढ़ोतरी हुई है। साईबर क्राइम के रोकथाम एवं अनुसंधानकर्त्ता की क्षमता में बढ़ोत्तरी हेतु देश एवं राज्य के सक्षम प्रशिक्षण केन्द्रों में समय–समय पर प्रशिक्षण करायी जाती है। सम्प्रति साइबर क्राइम टास्क फोर्स का गठन सरकार के समक्ष विचाराधीन नहीं है।

झारखण्ड सरकार,
गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग।

ज्ञापांक–16 / वि०स०–06 / 2021–...1215.. / राँची, दिनांक– 28/02/2021ई०।

प्रतिलिपि–200 अतिरिक्त प्रतियों के साथ अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा को उनके ज्ञापांक–156, दिनांक–22.02.2021 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

28/02/2021

सरकार के संयुक्त सचिव।

(13)

श्री अनन्त कुमार ओझा, मा०स०वि०स० के द्वारा दिनांक–01.03.2021 को पूछे जानेवाले तारांकित प्रश्न संख्या–ग–23 का उत्तर प्रतिवेदन :–

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है, कि राज्य अन्तर्गत एकमात्र जिला साहेबगंज के राजमहल विधान सभा क्षेत्र गंगा तट व मध्य दियारा क्षेत्र में पड़ता है, जो दो राज्य पं0 बंगाल एवं बिहार की सीमावर्ती है तथा अन्तर्राष्ट्रीय सीमा से मात्र 30 कि0मी0 की दूरी पर अवस्थित है ;	स्वीकारात्मक।
2	क्या यह बात सही है, कि राजमहल विधान सभा क्षेत्र अन्तर्गत प्रखण्ड क्रमशः साहेबगंज सदर, राजमहल और ,उधवा 83.15 कि०मी० गंगीय क्षेत्र में अवस्थित है, जहाँ आए दिन सीमावर्ती राज्य के असामाजिक तत्वों द्वारा आपराधिक घटना को अंजाम देकर, गंगा नदी में सतत् निगरानी हेतु जल थाना स्थापित नहीं रहने के कारण गंगा नदी मार्ग द्वारा भाग जाते हैं ;	आंशिक स्वीकारात्मक। गदाई दियरा एवं मुफ्फसिल थाना क्षेत्र (दियरा) में 1/4 शस्त्र बल की प्रतिनियुक्ति की गई है तथा रोपनी–कटनी एवं अपराधकर्मियों के आवागमन की आसूचना के समय विशेष रूप से पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति करते हुए पिकेट स्थापित किया गया है। साथ ही गंगा नदी में सघन रूप से मोटरबोट से गश्ती की जाती है। आसूचना संकलन कर आवश्यक कार्रवाई की जाती है।
3	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार खण्ड–(1) में वर्णित क्षेत्र गंगा नदी 83.15 कि0मी0 में निगरानी हेतु "जल थाना" **(River Floating police Station)** चौकी की स्थापना करना चाहती है हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	साहेबगंज जिलान्तर्गत गंगा नदी थाना **(Riverine PS)** के सृजन से संबंधित अद्यतन प्रस्ताव की माँग पुलिस मुख्यालय से की गई है। प्रस्ताव प्राप्त होने पर समीक्षोपरांत यथोचित कार्रवाई की जायेगी।

झारखण्ड सरकार,
गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग।

ज्ञापांक–16/वि०स०–09/2021–1207/ रॉंची, दिनांक– 26/02/2021ई०।

प्रतिलिपि–200 अतिरिक्त प्रतियों के साथ अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा को उनके ज्ञापांक–150, दिनांक–22.02.2021 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

26/02/2021

सरकार के संयुक्त सचिव।

C:\Users\HP\Desktop\Questions (Budget) 21.doc P-17

(14)

श्री किशुन कुमार दास, माननीय स०वि०स० द्वारा चलते/आगामी अधिवेशन में दिनांक 01.03.2021 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या– यो. वि.–01 का उत्तर सामग्री निम्नवत् है :–

तारांकित प्रश्न	उत्तर सामग्री
(1.) क्या यह बात सही है कि सिमरिया अनुमंडल में उप कोषागार कार्यालय नहीं रहने के कारण सिमरिया अनुमण्डल के लोगों को काफी कठिनाई हो रही है;	अस्वीकारात्मक। कोषागार का कार्य Online हो जाने से कोषागारों के साथ–साथ विभागों का कार्य भी काफी सुलभ हो गया है। विभागों द्वारा अब Online पद्धति का प्रयोग कर विपत्र का निर्माण किया जा रहा है तथा कार्यालय के स्तर से ही कोषागारों को विपत्र electronically एवं physically भेज दिया जाता है। कोषागार के स्तर से ही सीधे लाभुक के खाते में e-payment के माध्यम से राशि का भुगतान कर दिया जा रहा है। Online हो जाने से अनावश्यक विलम्ब एवं कठिनाई नहीं होती है।
(2.) क्या यह बात सही है कि जिला मुख्यालय चतरा में उप कोषागार है जो सिमरिया अनुमण्डल से काफी दूर है;	अस्वीकारात्मक। चतरा जिला में कोषागार कार्यालय स्थित है, जो सिमरिया अनुमण्डल से लगभग 20 कि.मी. की दूरी पर है।
(3) यदि उपर्युक्त खण्डों का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार सिमरिया अनुमण्डल में उप कोषागार बनवाने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों?	कोषागार का कार्य Online हो जाने के कारण नए कोषागार की स्थापना पर वर्त्तमान समय में विचार नहीं किया जा रहा है।

झारखण्ड सरकार
योजना–सह–वित्त विभाग
(वित्त प्रभाग)

ज्ञापांक : 10/वि.स. (4)–01/2021. 682/वि० रॉंची/दिनांक: 26/02/2021

प्रतिलिपि : अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा, रॉंची के ज्ञाप सं. प्र. 145/वि०स०, रॉंची, दिनांक 22.02.2021 के आलोक में उत्तर की 200 प्रतियाँ अग्रेतर कार्रवाई हेतु प्रेषित।

26.02.2021
(अविनाश कुमार सिंह)
अपर सचिव,
योजना–सह–वित्त विभाग, झारखण्ड,
रॉंची।

(15)

श्री केदार हजरा, मा०स०वि०स० के द्वारा दिनांक–01.03.2021 को पूछे जानेवाले तारांकित प्रश्न संख्या–ग–21 का उत्तर प्रतिवेदन :–

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि गिरिडीह जिलान्तर्गत जमुआ प्रखण्ड के ग्राम कारोडीह में एकीकृत बिहार में विधि व्यवस्था बनाएं रखने हेतु पुलिस टी०ओ०पी० बनाया गया था ;	जमुआ थाना अंतर्गत एकीकृत बिहार के समय कारोडीह में टी०ओ०पी० रहने से संबंधित कोई अभिलेख उपलब्ध नहीं है।
2	क्या यह बात सही है कि कोरोडीह से जमुआ थाना मुख्यालय की दूरी करीब 15–20 कि०मी० तथा खण्ड–1 में निहित स्थान पर अब टी०ओ०पी० कार्यरत नहीं है ;	आंशिक स्वीकरात्मक। जमुआ थाना मुख्यालय से ग्राम कारोडीह की दूरी 12 कि०मी० है। खण्ड–1 में निहित स्थान पर वर्तमान में टी०ओ०पी० संचालित नहीं है।
3	क्या यह बात सही है कि थाना मुख्यालय की दूरी दूर रहने तथा कारोडीह में कस्तुरबा बालिका उच्च विद्यालय के रहने के कारण स्थानीय स्तर पर पुलिस की प्रशासनिक व्यवस्था रहना जरूरी है ;	वर्तमान में जमुआ थाना के द्वारा कारोडीह में विधि–व्यवस्था एवं सुरक्षा व्यवस्था का संधारण किया जा रहा है।
4	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार जमुआ प्रखण्ड के कारोडीह में टी०ओ०पी० को पुनः बहाल करना चाहती है, हाँ, तो कब तक नहीं तो क्यों ?	जमुआ प्रखण्ड के ग्राम–कारोडीह में टी०ओ०पी० स्थापना संबंधी कोई भी प्रस्ताव सरकार के समक्ष विचाराधीन नहीं है।

झारखण्ड सरकार,
गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग।

ज्ञापांक–16 / वि०स–07 / 2021–......1238..... / राँची, दिनांक– 28/02/2021 ई०।

प्रतिलिपि–200 अतिरिक्त प्रतियों के साथ अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा को उनके ज्ञापांक–160, दिनांक–22.02.2021 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

28/02/2021

सरकार के संयुक्त सचिव।

E:\Questions (Budget) 21.doc P-7

16

श्री सरयू राय, मा०स०वि०स० के द्वारा दिनांक–01.03.2021 को पूछे जानेवाले तारांकित प्रश्न संख्या–ग–11 का उत्तर प्रतिवेदन :–

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि पश्चिमी सिंहभूम के जिला खनन पदाधिकारी ने पत्रांक– 2192/एम, दिनांक–04.02.2011 द्वारा नोवामुण्डी थाना प्रभारी को सूचित किया था कि बोकारो साईडिंग से 7,000 मीट्रिक टन लौह अयस्क की चोरी हो गई है और दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करने का अनुरोध किया गया था :	स्वीकारात्मक। पश्चिमी सिंहभूम के तत्कालीन जिला सिंहभूम के जिला खनन पदाधिकारी ने पदाधिकारी ने अपने कार्यालय ज्ञापक–219/एम०, दिनांक–04.02.2011 के द्वारा तत्कालीन नोवामुण्डी थाना प्रभारी को रेलवे साईडिंग (बोकारो रेलवे साईडिंग) एवं पाँच नम्बर साईडिंग पर प्रखण्ड विकास पदाधिकारी नोवामुण्डी श्री अरविन्द कुमार के नेतृत्व में गठित जाँच दल द्वारा दिनांक–07.04.2010 को जप्त किये गये लगभग 50,750 एम०टी० लौह अयस्क में से 7,000 एम०टी० लौह अयस्क चोरों या अनाधिकृत व्यक्तियों के द्वारा उठाव किये जाने की सूचना देते हुए इस संदर्भ में प्राथमिकी दर्ज करने का अनुरोध किया गया था। जिसके आलोक में अज्ञात के विरूद्ध नोवामुण्डी थाना काण्ड सं0–09/11, दिनांक–10.02.2011, धारा–379 भा०द०वि० के अन्तर्गत दर्ज किया गया है।
2	क्या यह बात सही है कि इस प्राथमिकी के विरुद्ध अनुसंधान की कोई भी कार्रवाई 10 वर्ष से अधिक का समय गुजर जाने के बावजूद अभी तक नहीं हुई है :	यह काण्ड अनुसंधान अन्तर्गत है कि:– 1. काण्ड में लौह अयस्क भंडार को नजरिये अंदाज पर जप्त कर जाँच होने तक तत्कालीन थाना प्रभारी, नोवामुण्डी थाना के निगरानी में रखा गया था। जिसका वास्तविक जाँच कर खनन विभाग द्वारा प्रतिवेदन नहीं सौंपा गया है, जिसे खनन विभाग से प्राप्त करने हेतु अनुसंधानकर्ता को निर्देशित किया गया है। 2 काण्ड में जप्त लौह अयस्क को खनन विभाग द्वारा विभिन्न अनुज्ञप्तिधारियों के कागजातों की जाँच कर कुछ लौह अयस्क पर जुर्माना कर तथा कुछ सही पाकर मुक्त करने का आदेश दिया गया तो उस समय भी अनुज्ञप्तिधारी द्वारा कितना लौह अयस्क का वास्तव में उठाव किया जा रहा है। इस पर किसी सरकारी पदाधिकारी का कोई नियन्त्रण नहीं था। अनुज्ञप्तिधारी अपने से जप्त माल उठा रहे थे, उक्त के संबंध में खनन विभाग से प्रतिवेदन प्राप्त कर काण्ड दैनिकी में अंकित करने हेतु निर्देशित किया गया है। 3. घटनास्थल का विडियोग्राफी एवं मानचित्र खनन विभाग के द्वारा तैयार नहीं किया गया जिस कारण घटनास्थल पर कितना लौह अयस्क की मात्रा थी एवं उसमें से कितने लौह अयस्क की चोरी अथवा उठाव का मूल्यांकन नहीं हो पाया है। उक्त के संबंध में खनन विभाग से प्रतिवेदन प्राप्त कर काण्ड दैनिकी में अंकित करने हेतु निर्देशित किया गया है। 4. अनुसंधानकर्ता द्वारा काण्ड में संग्रह किये गये नमूने का जाँच राजकीय भूतात्विक प्रयोगशाला, हजारीबाग से जप्त लौह अयस्क एवं पीट के लौह अयस्क से मेल खाने के बिन्दु पर मंतव्य की मांग की गई थी, जो राजकीय भूतात्विक प्रयोगशाला, हजारीबाग से काफी विलम्ब से दिनांक–12.04.2019 को प्राप्त हुआ। जिसके अवलोकन से स्पष्ट नहीं हो

कृ०पृ०उ०.....

		पा रहा है कि जप्त लौह अयस्क एवं पीट के लौह अयस्क एक जैसा है। उक्त के आलोक में अनुसंधानकर्ता को संबंधित विभाग से पुनः स्पष्ट मंतव्य के साथ प्रतिवेदन प्राप्त कर काण्ड दैनिकी में अंकित करने का निर्देश दिया गया है। 5. इस काण्ड में झारखण्ड विधान सभा की विशेष समिति द्वारा मामले की जाँच घटनास्थल पर जाकर किया गया है। इसका जाँच प्रतिवेदन प्राप्त कर जाँच प्रतिवेदन में दिये गये निर्देशों का अनुपालन करने का निर्देश दिया गया है। उक्त के संबंध में अनुसंधानकर्ता द्वारा कई बार खनन विभाग के कार्यालय में संपर्क स्थापित कर एवं पत्राचार कर झारखण्ड विधान सभा की विशेष समिति का जाँच प्रतिवेदन प्राप्त करने का प्रयास किया गया है, परन्तु खनन विभाग द्वारा अबतक जाँच प्रतिवेदन उपलब्ध नहीं कराया गया है।
3	क्या यह बात सही है कि विभिन्न जाँच समितियों के प्रतिवेदनों के अनुसार बोकारो साईडिंग से चोरी हुए लौह अयस्क की मात्रा इससे काफी अधिक है ;	गठित समिति द्वारा आयरन ओर के स्टॉक का भौतिक सत्यापन कर मापी की गई है। उक्त समितियों के प्रतिवेदन के अनुसार स्टॉक का विवरणी निम्नवत् है:- 1. प्राथमिकी दर्ज होने के पूर्व तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, नोवामुण्डी के नेतृत्व में जाँच की गई थी, जिनके जाँच प्रतिवेदन के अनुसार घटनास्थल के कुल 15 जगहों से कुल---50,750 एम0टी0 लौह अयस्क जप्त किया गया था। 2. पुनः तत्कालीन अनुमंडल पदाधिकारी, जगन्नाथपुर, के नेतृत्व में सेल गुवा के सर्वे पदाधिकारी, ज्योलोजिस्ट श्री तनवीर जाफर, जिला अमीन श्री चिन्तामणी गोप के साथ दिनांक-13.10.2012 एवं 16.10.2012 को नोवामुण्डी स्टेशन के बोकारो साईडिंग एवं लाईन नम्बर 05 के आसपास जप्त लौह अयस्क एवं पूर्व से लोडिंग के दौरान दबे आयरन ओर की मापी की गई, जिसमें कुल आयरन ओर की मात्रा 99899.19 एम0टी0 पाया गया (जिसमें कारपेट स्टॉक 68796.00 एम टी० शामिल है)
4	यदि उपर्युक्त खण्डों को उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार इस दिशा में अभी तक अनुसंधान नहीं होने का कारण बताएगी और इसका अनुसंधान कब तक पूरा करना चाहती है, नहीं तो क्यों ?	वर्तमान में यह काण्ड क्रम संख्या 02 में उद्धृत विषयों एवं अन्य बिन्दुओं पर अनुसंधान्तर्गत है। शीघ्र ही लंबित बिन्दुओं पर कार्रवाईयों को पूर्ण करते हुए काण्ड का निष्पादन किया जाना संभावित है।

झारखण्ड सरकार,
गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग।

ज्ञापांक-08/वि०स० (09)-03/2021-.....994.../ राँची, दिनांक- 28/02/2021 ई०।

प्रतिलिपि-200 अतिरिक्त प्रतियों के साथ अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा को उनके ज्ञापांक-147, दिनांक-22.02.2021 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

28/02/2021

सरकार के संयुक्त सचिव।

(17)

श्री अमित कुमार मण्डल, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक–01.03.2021 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या–का0–02 का उत्तर प्रतिवेदन।

क्र. सं.	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि 18 जुलाई 2016 में तत्कालीन झारखण्ड सरकार ने राज्य में नयी नियोजन नीति लागू की थी;	अंशतः स्वीकारात्मक। कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड की अधिसूचना सं0–5938, दिनांक–14.07.2016 एवं आदेश सं0–5939, दिनांक–14.07.2016 द्वारा राज्य के 13 जिलों यथा–साहेबगंज, पाकुड़, दुमका, जामताड़ा, लातेहार, राँची, खूँटी गुमला, लोहरदगा, सिमडेगा, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम एवं सरायकेला खरसावाँ जिला में अधिसूचना जारी होने की तिथि से 10 वर्षों की कालावधि के लिए संबंधित जिलों के विभिन्न विभागों में जिला संवर्ग के तृतीय श्रेणी एवं चतुर्थ श्रेणी के पदों में उदभूत रिक्तियों पर संबंधित जिले के मात्र स्थानीय निवासी ही भरती हेतु पात्र होने का प्रावधान किया गया।
2.	क्या यह बात सही है कि 20 नवम्बर 2018 में नियोजन नीति में पुनः संशोधन करते हुए 11 जिला के जिला स्तरीय पदों, अराजपत्रित वर्ग (ख, ग व समूह घ) के पदों पर स्थानीय निवासी को पात्र बनाया गया था;	अंशतः स्वीकारात्मक। कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड की संकल्प सं0–3854, दिनांक–01.06.2018 द्वारा राज्य के 11 गैर अनुसूचित जिलों यथा पलामू, गढ़वा, हजारीबाग, रामगढ़, कोडरमा, चतरा, धनबाद, बोकारो, गिरिडीह, देवघर एवं गोड्डा में जिला स्तर के वर्ग 3 एवं वर्ग 4 के पदों पर नियुक्ति हेतु, अगले 10 (दस) वर्षों तक, मात्र संबंधित जिले के स्थानीय निवासियों को ही पात्र माना गया। साथ ही झारखण्ड राज्य में वर्ग 3 एवं वर्ग 4 के सभी राज्यस्तरीय पदों पर भविष्य में होने वाले नियुक्तियों हेतु मात्र झारखण्ड राज्य के स्थानीय निवासियों को ही पात्र माने जाने का प्रावधान किया गया। साथ ही संकल्प सं0–8468, दिनांक–20.11.2018 द्वारा राज्यहित में रिक्त सरकारी पदों पर नियुक्ति सुगमता पूर्वक सुनिश्चित करने हेतु विभागीय अधिसूचना सं0–5938, दिनांक–14.07.2016 एवं संकल्प सं0–3854, दिनांक–01.06.2018 में जहाँ कहीं भी "वर्ग 3 एवं वर्ग 4" अथवा "तृतीय श्रेणी एवं चतुर्थ श्रेणी" शब्द समूह का प्रयोग किया गया है उसे " 'समूह ख के अराजपत्रित तथा समूह ग' एवं 'समूह घ' " से प्रतिस्थापित किया गया।
3.	क्या यह बात सही है कि वर्तमान झारखण्ड सरकार में कोई नई नियोजन नीति प्रस्तावित नहीं है;	अधिसूचना सं0–5938, दिनांक–14.07.2016 एवं आदेश सं0–5939, दिनांक–14.07.2016 को माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय ने वाद WP(C) सं0–1387/2017–सोनी कुमारी एवं अन्य समरुप मामलों में दिनांक–21.09.2020 पारित न्यायादेश द्वारा निरस्त कर दिया गया है। संकल्प संकल्प सं0–821, दिनांक–05.02.2021 द्वारा संकल्प सं0–3854, दिनांक–01.06.2018 (संकल्प सं0–8468, दिनांक–20.11.2018 द्वारा यथा संशोधित) को आहरित किया गया है। वर्तमान में कोई नियोजन नीति प्रस्तावित नहीं है।
4.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार नई नियोजन नीति लाते हुए युवाओं को नए सिरे से नियुक्ति प्रदान करने का आदेश संबधित विभाग को देना चाहती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो, क्यों?	उपर्युक्त कंडिकाओं से स्थिति स्पष्ट है।

झारखण्ड सरकार,

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

ज्ञापांक–14/झा0वि0स0–07–02/2021 का0–1235/रांची, दिनांक 26/02/2021

प्रतिलिपि– अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, रांची को उनके पत्र, ज्ञाप संख्या–140, दिनांक–22.02.2021 के प्रसंग में 200 (दो सौ) प्रतियों में सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(राज [illegible])

सरकार के अवर सचिव।

(18)

श्री रामचन्द्र चन्द्रवंशी, मा०स०वि०स० के द्वारा दिनांक–01.03.2021 को पूछे जानेवाले तारांकित प्रश्न संख्या–ग–18 का उत्तर प्रतिवेदन :–

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि लातेहार जिला के चन्दवा थाना अन्तर्गत ग्राम बेतर में पुलिस चौकी निर्माण की स्वीकृति हेतु पुलिस अधीक्षक तथा उपायुक्त लातेहार द्वारा अनुशंसा की गई है ;	स्वीकारात्मक।
2	क्या यह बात सही है कि उक्त अनुशंसा पुलिस महानिदेशक के कार्यालय में अब तक लम्बित है और पुलिस चौकी के अभाव में उक्त ग्राम में नक्सलियों का अक्सर आना जाना एवं ताण्डव जारी है ;	आंशिक स्वीकारात्मक। चंदवा थाना अन्तर्गत बेतर ग्राम क्षेत्र में वर्ष 2018 में मात्र दो काण्ड दर्ज किया गया है। उग्रवादियों के विरूद्ध लगातार अभियान एवं छापामारी की जा रही है जिसके कारण उग्रवादी घटनाओं पर अंकुश लगाया गया है।
3	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या जनहित में सरकार चन्दवा प्रखण्ड के बेतर ग्राम में पुलिस चौकी स्थापित करने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	वर्त्तमान में सरकार के समक्ष ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

झारखण्ड सरकार,
गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग।

ज्ञापांक–16 / वि०स०–04 / 2021–.....1213.../ राँची, दिनांक– 28/02/2021 ई०।

प्रतिलिपि–200 अतिरिक्त प्रतियों के साथ अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा को उनके ज्ञापांक–159, दिनांक–22.02.2021 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

28/02/2021
सरकार के संयुक्त सचिव।

(19)

श्री अमित कुमार यादव माननीय स०वि०स० द्वारा दिनांक–01.03.2021 को पूछे जाने वाले तारांकित प्रश्न सं०–ग–08 का उत्तर प्रतिवेदन

प्रश्नकर्त्ता	उत्तरदाता
श्री अमित कुमार यादव, मा०स०वि०स०	श्री बन्ना गुप्ता, माननीय मंत्री, आपदा प्रबंधन प्रभाग
1. क्या यह बात सही है कि हजारीबाग जिलान्तर्गत बरकट्ठा प्रखण्ड के ग्राम–चेचकपी लारो टोला के निवासी खागो साव, पिता–श्री सोहर साव का घर दिनांक–30.12.2014 को जल गया था, जिसका मुआवजा राशि भुगतान 6 वर्ष बीत जाने के बाद भी अबतक नहीं किया गया है ;	अस्वीकारात्मक। उपायुक्त, हजारीबाग के पत्रांक–512 दिनांक–26.02.2021 द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि अभिलेख संख्या–07/2014–15 के द्वारा श्री फागो साव, पिता सोहर साव को आग से हुई क्षति के लिए राज्य आपदा मोचन निधि (SDRF) के मद एवं मापदण्ड के अनुसार अनुग्रह अनुदान की राशि 20,300/–(बीस हजार तीन सौ) रूपये का भुगतान चेक संख्या–902062 के माध्यम से दिनांक–03.09.2016 को कर दिया गया है।
2. क्या यह बात सही है कि राज्य सरकार के समक्ष अतिवृष्टि, ओलावृष्टि एवं आगजनी से नष्ट हुए मकान आदि के मुआवजा राशि भुगतान हेतु समय सीमा का निर्धारण अब तक नहीं किया गया है ;	विभागीय संकल्प संख्या–604(अनु०) दिनांक–18.05.2015 द्वारा प्राकृतिक आपदा से प्रभावितों को त्वरित गति से सहायता उपलब्ध कराने हेतु राज्य के उपायुक्त को वित्तीय शक्तियाँ प्रत्यायोजित की गई है।
3. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार व्यापक लोकहित में समय सीमा निर्धारण कर खागो साव सहित सभी लंबित मुआवजा का भुगतान करना चाहती है; यदि हाँ तो कब, नहीं तो क्यों ?	उपरोक्त खण्डों में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है।

झारखण्ड सरकार
गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग
(आपदा प्रबंधन प्रभाग)

ज्ञापांक–07/आ०प्र०(विधायी)–03/2021–128/आ०प्र०, राँची, दिनांक–27/2/2021

प्रतिलिपि– माननीय मंत्री, संसदीय कार्य विभाग, झारखण्ड के आप्त सचिव/माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव, आपदा प्रबंधन प्रभाग, झारखण्ड, राँची/सचिव कोषांग, गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग (आपदा प्रबंधन प्रभाग), झारखण्ड, राँची/विशेष सचिव, मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं निगरानी विभाग (संसदीय कार्य), झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

27/2/2021

(अमरेश कुमार नीरज)
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक –07/आ०प्र०(विधायी)–03/2021–128/आ०प्र०, राँची, दिनांक–27/2/2021

प्रतिलिपि– अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, राँची को उनके ज्ञापांक–151 दिनांक–22.02.2021 के प्रसंग में सूचनार्थ प्रेषित।

27/2/2021

सरकार के अवर सचिव।

(20)

श्री अमित कुमार मण्डल, मा०स०वि०स० के द्वारा दिनांक–01.03.2021 को पूछे जानेवाले तारांकित प्रश्न संख्या–ग–07 का उत्तर प्रतिवेदन :–

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि गृह मंत्रालय भारत सरकार द्वारा अधिसूचित शस्त्र नियमावली 2016 के आलोक में अपराधिक छवि के व्यक्ति का शस्त्र की अनुज्ञप्ती निर्गत नहीं की जा सकता है। साथ ही एक ही व्यक्ति को दो से ज्यादा शस्त्र निर्गत नहीं किया जा सकता है ;	स्वीकारात्मक।
2	क्या यह बात सही है कि सितम्बर 2019 से अगस्त 2020 के बीच गोड्डा जिला प्रशासन के द्वारा 112 शस्त्रों की अनुज्ञप्ति निर्गत की गयी है, जो झारखण्ड प्रदेश में सार्वधिक है ;	स्वीकारात्मक। कुल 118 शस्त्र अनुज्ञप्ति निर्गत है।
3	क्या यह बात सही है कि खण्ड 2 में प्राप्त अनुज्ञप्ति धारियों में वैसे कई अनुज्ञप्तिधारी है, जिन्हें खण्ड 1 में अंकित नियमावली का उल्लंघन करते हुए लाइसेंस प्रदान की गई है ;	उक्त संबंध में अबतक कोई मामला संज्ञान में नही आया है। शस्त्र सूची का पुनः जाँच कराकर मामला संज्ञान में आने पर यथोचित कार्रवाई किया जायेगा।
4	क्या यह बात सही है कि खण्ड 2 में प्राप्त आठ अनुज्ञप्ति धारियों ने दूसरे राज्य से शस्त्र का लाइसेंस लिया था। जिसे संबंधित जिले के ऑनलाईन पोर्टल में UIN नम्बर रजिस्टर किये बगैर गोड्डा जिला में ट्रांसफर कर लिया गया ;	आंशिक स्वीकारात्मक। जिला स्तर पर प्रारंभिक जाँच में अन्य राज्य से निर्गत एक शस्त्र अनुज्ञपित एवं अन्य जिला से निर्गत एक अनुज्ञप्ति कुल दो शस्त्र अनुज्ञप्ति प्रकाश में आया है। जिन्हें संबंधित जिले के ऑनलाईन पोर्टल में UIN नम्बर रजिस्टर किये बगैर गोड्डा जिला में ट्रान्सफर कर लिया गया है।
5	यदि उपर्युक्त खण्डों का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार सितम्बर 2019 से अगस्त 2020 के बीच निर्गत अनुज्ञप्ति की जाँच कराते हुए गलत अनुज्ञप्ति धारियों के लाइसेंस को रद्द करते हुए दोषी पदाधिकारियों के विरूद्ध नियम संगत कार्रवाई करने की विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	उरोक्त कंडिका में स्थिति स्पष्ट की गयी है। मामले में जाँचोपरान्त नियम संगत अग्रेतर अपेक्षित कार्रवाई हेतु संबंधित पदाधिकारियों को निदेशित किया जायेगा।

झारखण्ड सरकार,
गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग।

ज्ञापांक–10 / वि०स०–703 / 2021–....1214../ राँची, दिनांक– 28/02/2021 ई०।

प्रतिलिपि–200 अतिरिक्त प्रतियों के साथ अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा को उनके ज्ञापांक–163, दिनांक–22.02.2021 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

28/02/2021

सरकार के संयुक्त सचिव।

(21)

श्री बिरंची नारायण, मा०स०वि०स० के द्वारा दिनांक–01.03.2021 को पूछे जानेवाले तारांकित प्रश्न संख्या–ग–02 का उत्तर प्रतिवेदन :–

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि बोकारो जिला स्थित चीरा चास एक बड़े शहर का रूप ले चुका है विगत 10 वर्षों से यहाँ थाना खोलने की मांग जनता और जनप्रतिनिधियों द्वारा हो रही है ;	स्वीकारात्मक।
2	क्या यह बात सही है कि प्रस्तावित चीरा चास थाने की वर्तमान आबादी करीब 90 हजार है और यहाँ 5 बैंक भी हैं एवं करीब 50 प्रतिशत आबादी यहाँ सेवानिवृत्त कर्मियों की है ;	स्वीकारात्मक।
3	क्या यह बात सही है कि चीरा चास थाना की दूरी 6 कि०मी० से अधिक है तथा इसके कार्य क्षेत्र में करीब 3 लाख आबादी निवास करती है और 15 नवम्बर, 2017 को चीरा चास में पुलिस पिकेट खोला गया था और 2 सब इंस्पेक्टर की तैनाती की गई है, लेकिन यहाँ के लोगों को किसी भी तरह के शिकायत/सूचना आवेदन और कागजात रिसीविंग कराने के लिए चास थाना ही जाना पड़ता है ;	स्वीकारात्मक।
4	क्या यह बात सही है कि चीरा चास में एस०बी०आई० बैंक को लुटेरों ने लूट लिया था और कई घरों में डकैती की घटना भी संपादित हुई हैं तथा एक रेलवे ठेकेदार के घर पर जाकर अपराधियों ने उन पर बेखौफ गोलियाँ चला दी थी ;	आंशिक स्वीकारात्मक। वस्तुस्थिति यह है कि घरों में डकैती जैसी घटना नहीं हुई है, सिर्फ चोरी एवं गृह भेदन जैसी घटना घटी है। रेलवे ठेकेदार पर गोली चलाने के मामले में चास थाना में काण्ड दर्ज किया गया है।
5	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार व्यापक जनहित में चीरा चास थाना खोलने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, यदि नहीं तो क्यों ?	बोकारो जिलान्तर्गत चास प्रखण्ड स्थित चीरा चास में नये थाना के स्थापना संबंधी अद्यतन प्रस्ताव की माँग पुलिस मुख्यालय से की गई है। प्रस्ताव प्राप्त होने पर समीक्षोपरांत यथोचित कार्रवाई की जायेगी।

झारखण्ड सरकार,
गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग।

ज्ञापांक–16/वि०स० 03/2021–1201/ राँची, दिनांक– 28/02/2021ई०।

प्रतिलिपि–200 अतिरिक्त प्रतियों के साथ अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा को उनके ज्ञापांक–88, दिनांक–18.02.2021 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

28/02/2021

सरकार के संयुक्त सचिव।

(22)

सुश्री अम्बा प्रसाद, मा०स०वि०स० के द्वारा दिनांक–01.03.2021 को पूछे जानेवाले तारांकित प्रश्न संख्या–ग–22 का उत्तर प्रतिवेदन :–

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है, कि रामगढ़ जिलान्तर्गत जिला समादेष्टा कार्यालय, झारखण्ड गृह रक्षा वाहिनी, रामगढ़ के विज्ञापन संख्या–01/2018 के तहत् गृह रक्षकों के नवनामांकन हेतु प्रक्रिया शुरू की गयी थी ;	स्वीकारात्मक।
2	क्या यह बात सही है, कि गृह रक्षकों के नवनामांकन हेतु लिखित, मौखिक एवं शारीरिक परीक्षा ले ली गयी है परंतु सफल उम्मीदवारों का नवनामांकन की प्रक्रिया आज तक पूरी नहीं की गयी है, जिससे अभ्यर्थियों में रोष व्याप्त है ;	स्वीकारात्मक।
3	क्या यह बात सही है कि गृह रक्षकों के नामांकन हेतु चयनित अभ्यर्थियों के नवनामांकन से संबंधित अभिलेख एवं उपायुक्त सह अध्यक्ष के बुनियादी प्रशिक्षण करवाने हेतु जिला समादेष्टा कार्यालय, झारखण्ड गृह रक्षा वाहिनी रामगढ़ पत्रांक संख्या–719, दिनांक–09.11.2020 के तहत् अनुशंसा पत्र मुख्यालय राँची को पहुंचाने के लिए विशेष दूत के रूप में प्राधिकृत किया गया है ;	स्वीकारात्मक।
4	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार रामगढ़ जिलान्तर्गत गृह रक्षकों की नवनामांकन की प्रक्रिया को पूरा कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	रामगढ़ जिलान्तर्गत गृह रक्षकों के नव नामांकन के संबंध में झारखण्ड गृह रक्षा वाहिनी, मुख्यालय, राँची को कतिपय शिकायत पत्र प्राप्त हुए हैं। शिकायत पत्र के आलोक में उपायुक्त, रामगढ़ से प्राप्त जांच प्रतिवेदन की समीक्षा कर नियमानुसार अग्रेतर कार्रवाई की जा सकेगी।

झारखण्ड सरकार,
गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग।

ज्ञापांक–07/वि०स० (बजट) सत्र–104/2021–....391..../ राँची, दिनांक– 28/02/2021 ई०।

प्रतिलिपि–200 अतिरिक्त प्रतियों के साथ अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा को उनके ज्ञापांक–148, दिनांक–22.02.2021 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

28/02/2021
सरकार के संयुक्त सचिव।

(23)

श्री सरयू राय, मा०स०वि०स० के द्वारा दिनांक–01.03.2021 को पूछे जानेवाले तारांकित प्रश्न संख्या–ग–04 का उत्तर प्रतिवेदन :–

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है, कि जमशेदपुर पुलिस ने दिनांक–10.04.2016 को सीतारामडेरा थाना परिसर में उन पत्रकारों और प्रेस छायाकारों की जमकर पिटाई की, जो रंगदारी के विरुद्ध एक प्राथिमिकी दर्ज करानेवाले को ही हाजत में बंदकर देने का समाचार संग्रह करने वहाँ गये थे;	अस्वीकारात्मक।
2	क्या यह बात सही है, कि जमशेदपुर के निखार सबलोक ने सीतारामडेरा थाना क्षेत्र में हो रहे निर्माण में उनसे रंगदारी मांगने की प्राथमिकी दर्ज कराया था ;	स्वीकारात्मक। निखार सबलोक द्वारा दिये गये आवेदन के आधार पर सीतारामडेरा थाना काण्ड संख्या–51/2016, दिनांक–09.04.2016 धारा–385/56/34 भा0द0वि0 के अन्तर्गत प्राथमिकी अभियुक्त पवन कुमार अग्रवाल एवं 04–05 अज्ञात के विरूद्ध दर्ज किया गया था। अनुसंधानोपरांत उक्त काण्ड में अंतिम प्रतिवेदन संख्या–205/16, दिनांक–31.10.2016, धारा–385/56/34 भा0द0वि0 के अन्तर्गत काण्ड के प्राथमिक अभियुक्त के विरूद्ध अंतिम प्रतिवेदन असत्य समर्पित किया गया है।
3	क्या यह बात सही है कि सरकार ने पत्रकारों–छायाकारों पर हुये लाठीचार्ज की जाँच पूर्वी सिंहभूम के उपायुक्त से कराने का आदेश दिया था और तब से फरवरी 2019 तक गृह सचिव ने जाँच पूरा करने के लिये उपायुक्त को सात बार लिखित निर्देश दिया, इसके बावजूद जाँच अभी तक लंबित है ;	आंशिक स्वीकारात्मक। उपायुक्त, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर द्वारा मामले की जाँच अपर जिला दण्डाधिकारी, पूर्वी सिंहभूम से करवायी गई। जिससे विदित होता है कि दिनांक–10.04.2016 को एक युवक की गिरफ्तारी पर सीतारामडेरा थाना में कतिपय लोगों द्वारा हो–हल्ला किया जा रहा था, जिससे अव्यवस्था की स्थिति बनी थी। पुलिस द्वारा शांति बहाल करने के निमित पुलिस द्वारा हल्का बल प्रयोग किया गया। उक्त मामले में बी श्रीनिवास, संयोजक, कोर कमिटि, अध्यक्ष, जमशेदपुर प्रेस क्लब एवं अन्य पत्रकारों ने लिखित रूप में उक्त शिकायत को अब समाप्त करने हेतु अनुरोध किया गया है।
4	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार इस कांड का अनुसंधान पूरा कराते हुए रंगदारों पर कार्रवाई करना चाहती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	उपर्युक्त कंडिका में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है।

झारखण्ड सरकार,
गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग।

ज्ञापांक–08/वि०स० (04)–04/2021–995/ राँची, दिनांक– 28/02/2021ई०।
प्रतिलिपि–200 अतिरिक्त प्रतियों के साथ अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा को उनके ज्ञापांक–149, दिनांक–22.02.2021 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

28/02/2021

सरकार के संयुक्त सचिव।

(24)

श्री रामचन्द्र सिंह, माननीय स0वि0स0 से प्राप्त तारांकित प्रश्न संख्या–का–06 का उत्तर सामाग्री।		
क्र० सं०	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि श्री उदय शंकर, प्रधान आप्त सचिव के पद पर दिनांक–18.07.2016 से कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग में पदस्थापित है और वो अब तक लगातार बने हुए है;	स्वीकारात्मक।
2.	क्या यह बात सही है कि कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के ज्ञापांक–12/प्रो0–09–03/2015 का011115/राँची, दिनांक–28.12.2016 के द्वारा आशुलिपिक सेवा के आप्त सचिव के पद से प्रधान आप्त सचिव के पद पर कुल चार कर्मी श्री रघुनाथ ठाकुर, श्री प्रेम शंकर, श्री उदय शंकर एवं श्री रामदेव शर्मा को प्रोन्नति दिये जाने के फलस्वरूप श्री उदय शंकर, आप्त सचिव को छोड़कर अन्य तीन प्रधान आप्त सचिवों को वर्ष 2017 में अन्य विभागों में स्थानान्तरण कर दी गई, जबकि श्री उदय शंकर, प्रधान आप्त सचिव का स्थानान्तरण नहीं किया गया ;	स्वीकारात्मक।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के स्थानान्तरण नियमावली के तहत श्री उदय शंकर, प्रधान आप्त सचिव को कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग से किसी अन्य विभाग में स्थानान्तरण करने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नही तो क्यों नहीं?	प्रशासनिक दृष्टिकोण, कार्यहित एवं स्थानान्तरण/ पदस्थापन के लिए निर्धारित सामान्य नीति को ध्यान में रखते हुए झारखण्ड सचिवालय आशुलिपिक सेवा के पदधारकों यथा आप्त सचिव, प्रधान आप्त सचिव एवं अन्य, का स्थानान्तरण एवं पदस्थापन समय–समय पर किया जाता है।

झारखण्ड सरकार
कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग

ज्ञापांक:–12/वि०स०–11–01/2021 का0.....1259/ राँची, दिनांक 26 /02/2021 ई0।

प्रतिलिपिः– अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची को उनके ज्ञाप संख्या–141 वि०स० दिनांक–22.02.2021 के आलोक में श्री रामचन्द्र सिंह, माननीय स0वि0स0 के द्वारा दिनांक–01.03.2021 को पूछे जाने वाले तारांकित प्रश्न संख्या– का – 06 का लिखित उत्तर की 200 प्रतियाँ सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(प्रेम कुमार राय)
सरकार के अवर सचिव।

श्री कोचे मुण्डा, मा०स०वि०स० के द्वारा दिनांक–01.03.2021 को पूछे जानेवाले तारांकित प्रश्न संख्या–ग–24 का उत्तर प्रतिवेदन :–

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है, कि तोरपा–रनिया एवं कर्रा प्रखण्डों को मिलाकर वर्ष 2011 में तोरपा को पुलिस अनुमण्डल अधिसूचित किया गया है एवं तोरपा में पुलिस अनुमण्डल पदाधिकारी पदस्थापित है ;	स्वीकारात्मक।
2	क्या यह बात सही है, कि पुलिस अनुमण्डल पदाधिकारी तोरपा का अपना कोई आवास एवं कार्यालय नहीं होने से वर्त्तमान में तोरपा थाना प्रभारी के आवास में आवासित है ;	स्वीकारात्मक। अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी कार्यालय तोरपा थाना के पुराने भवन में संचालित है। अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी तोरपा थाना प्रभारी तोरपा के पुराने आवास में आवासित है।
3	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो सरकार पुलिस अनुमण्डल पदाधिकारी, तोरपा का आवास एवं कार्यालय निर्माण करवाना चाहती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, तोरपा के आवास एवं कार्यालय निर्माण के लिए भूमि उपलब्ध कराने हेतु पुलिस अधीक्षक, खूँटी के द्वारा उपायुक्त, खूँटी से पत्राचार किया गया है। भूमि अधिग्रहण एवं राज्य स्कीम में बजट की उपलब्धता होने पर निर्माण कार्य पर निर्णय लिया जायेगा।

झारखण्ड सरकार,
गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग।

ज्ञापांक–03/वि०स० (ता०)–804/2021–......990../ राँची, दिनांक–28/02/2021 ई०।

प्रतिलिपि–200 अतिरिक्त प्रतियों के साथ अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा को उनके ज्ञापांक–153, दिनांक–22.02.2021 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

28/02/2021
सरकार के संयुक्त सचिव।

26

माननीय स०वि०स० श्रीमती दीपिका पाण्डेय सिंह द्वारा दिनांक 01.03.2021 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या–का–01 का उत्तर।

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि पलामू, गोड्डा, साहेबगंज और पाकुड़ जिलों में समाहरणालय लिपिकों को 20 वर्षो से प्रोन्नति नहीं हुआ है;	**आंशिक रूप से स्वीकारात्मक।** **गोड्डा जिला** :– समाहरणालय संवर्ग के लिपिकों को कार्यालय आदेशसंख्या 107/2010, ज्ञापांक 352/स्था० दिनांक 26.05.2010 के द्वारा प्रोन्नति दी गई है। **पाकुड जिला** :– वर्ष 2003 में लिपिक से प्रधान लिपिक मे प्रोन्नति दी गई है। पलामू एवं साहेबगंज जिलों के समाहरणालय के लिपिक संवर्ग की प्रोन्नति सम्प्रति लंबित है परंतु समय–समय पर ए०सी०पी०/एम०ए०सी०पी० का वित्तीय लाभ दिया गया है।
2.	क्या यह बात सही है प्रोन्नति नहीं होने तथा उनकी वरीयता सूची प्रकाशित नहीं होने से कर्मचारियों के कार्य करने की क्षमता एवं मनोबल गिरने से कार्यालय के कार्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है;	**अस्वीकारात्मक।** **पाकुड जिला** :– लिपिकों के कोटि क्रमांक/ वरीयता सूची का प्रकाशन कार्यालय पत्रांक 04/स्था०, पाकुड़, दिनांक– 04.01.2021 द्वारा किया गया है। **गोड्डा जिला** :– समाहरणालय गोड्डा के पत्रांक 141 दिनांक 02.03.2010 द्वारा कार्यरत लिपिकों का कोटि क्रम सूची का प्रकाशन किया गया है। **पलामू जिला** :– उपायुक्त, पलामू के पत्रांक 409 दिनांक 27.05.2015 के द्वारा पलामू समाहरणालय अंतर्गत लिपिक संवर्ग की वरीयता सूची का प्रकाशन किया गया है। **साहेबगंज जिला** :– साहेबगंज जिले में समाहरणालय के लिपिक संवर्ग की वरीयता सूची का प्रकाशन किया गया है। कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची के पत्रांक 6752 दिनांक 24.12.2020 द्वारा प्रोन्नति पर सम्प्रति रोक लगाई गई है।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार समीक्षा कर इन लिपिकों की वरीयता सूची का प्रकाशन एवं प्रोन्नति पर विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नही तो क्यों ?	उपर के खण्डों में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है।

झारखण्ड सरकार
कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

ज्ञापांक–15/ज्ञा०वि०स०–15–01/2021 का०– 1279 /राँची, दिनांक– 27/02/2021

प्रतिलिपि–उप/अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा को उनके ज्ञापांक–83 दिनांक– 18.02.2021 के प्रसंग में 250 प्रतियों में आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

27/2/21

(एच० के० सुधाँशु)
सरकार के अवर सचिव।

(27)

श्री रामचन्द्र चन्द्रवंशी, मा०स०वि०स० के द्वारा दिनांक–01.03.2021 को पूछे जानेवाले तारांकित प्रश्न संख्या–ग–16 का उत्तर प्रतिवेदन :–

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि गढ़वा जिला के हसकेर ग्राम में कस्तुरबा विद्यालय, आई०टी०आई० कॉलेज तथा पॉलिटेकनीक कॉलेज सरकार द्वारा स्थापित है, जहां लगभग दो हजार छात्र–छात्राएं अध्ययन करते है तथा सरकारी छात्रावास में रहते हैं ;	स्वीकारात्मक।
2	क्या यह बात सही है कि आस–पास लगभग दस ग्राम पंचायत की जनता को प्रशासनिक सुविधा नहीं मिलने के कारण असुरक्षित महसूस करते है ;	अस्वीकारात्मक। ग्राम हंसकेर गढ़वा थाना से करीब 05 कि०मी० की दूरी पर स्थित है एवं उसके आस–पास लगभग 10 ग्राम पंचायत है, जिसमें गढ़वा थाना द्वारा सुरक्षा के दृष्टिकोण से पी०सी०आर० एवं थाना गश्ती के द्वारा पेट्रोलिंग करायी जाती है तथा गश्ती के क्रम में सतत निगरानी रखी जाती है।
3	क्या यह बात सही है कि इस संबंध में भी इस क्षेत्र में पुलिस ओ०पी० की स्थापना हेतु सरकार से आग्रह किया गया था, परन्तु अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है ;	अस्वीकारात्मक। गढ़वा जिला के ग्राम हंसकेर में पुलिस पिकेट के स्थापना संबंधी कोई भी प्रस्ताव सरकार के समक्ष विचाराधीन नहीं है।
4	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार हसकेर के उक्त तीनों सरकारी विद्यालयों के निकट उपलब्ध सरकारी भूमि पर पुलिस पिकेट की स्थापना करना चाहती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	कंडिका–3 में वस्तुस्थिति स्पष्ट कर दी गई है।

झारखण्ड सरकार,
गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग।

ज्ञापांक–16 / वि०स–08 / 2021–.....1200..... / रांची, दिनांक– 28/02/2021 ई०।

प्रतिलिपि–200 अतिरिक्त प्रतियों के साथ अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा को उनके ज्ञापांक–161, दिनांक–22.02.2021 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

28/02/2021
सरकार के संयुक्त सचिव।

श्री किशुन कुमार दास, माननीय स0वि0स0 से प्राप्त तारांकित प्रश्न संख्या– वाणि0–01 / का उत्तरः–

28

	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि चतरा का गठन वर्ष–1991 में हुआ था और 30 वर्ष बीत जाने के बाद भी अब तक चतरा जिला मुख्यालय में वाणिज्य–कर विभाग का कार्यालय नहीं खोला गया है, जिससे आम जनों एवं व्यपारियों को जिला–हजारीबाग आकर वाणिज्य–कर जमा करने में परेशानी होती है।;	उत्तर आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है। जी0एस0टी0 कर प्रणाली के अन्तर्गत सभी प्रक्रियायें ऑनलाईन उपलब्ध हैं जिससे करदाताओं को कार्यालय आने की आवश्यकता नगण्य है क्योंकि ऑनलाईन व्यवस्था में कहीं से भी करदाता निबंधन, विवरणी दाखिला, कर का भुगतान आदि की प्रक्रियां कर सकते है।
2	यदि उपर्युक्त खण्ड का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार चतरा जिला मुख्यालय में वाणिज्य–कर विभाग कार्यालय खोलने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नही तो क्यों?	वाणिज्य–कर विभाग के अंतर्गत अंचल कार्यालय का गठन कर–संग्रहण के आधार पर किया जाता है और इस जिला में JGST के अन्तर्गत 1896 करदाता निबंधित है जो कुल राज्य के 1.17 लाख निबंधन का मात्र 1.62% हैं। सम्प्रति सरकार का चतरा जिला में वाणिज्य–कर कार्यालय के गठन का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

झारखण्ड सरकार
वाणिज्य–कर विभाग

ज्ञापांकः– वा0– कर /वि0मं0/01/2021 619 /राँची, दिनांकः– 25/02/2021

प्रतिलिपि –अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय को उनके ज्ञापांक 144 दिनांक 22.02.2021 के आलोक में उत्तर की 200 प्रतियाँ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

25.2.21
(अखिलेश शर्मा)
राज्य–कर संयुक्त आयुक्त।